(150)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2648–पीबीआर/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 27–06–2012 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार तहसील सरदारपुर जिला धार, प्रकरण कमांक 84/11–12/अ–12

.....

मोहनलाल पिता पन्नालाल
निवासी रिंगनोद तहसील सरदारपुर
जिला धार म0प्र0 ..... आवेदक

विरूद्ध

1–शासन
2–सकरीबाई पति स्व0 मांगु
निवासी रिंगनोद तहसील सरदारपुर
जिला धार म0प्र0

..... अनावेदकगण

.....

श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक–आवेदक
श्री हेमन्त मूँगी, अभिभाषक–अनावेदक कमांक 1

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 25/1/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार तहसील सरदारपुर जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–6–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 2 द्वारा उसके भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम रिंगनोद स्थित भूमि सर्वे कमांक 2127/1 रकबा 0.582 सीमांकन हेतु तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 84/2011–12/अ–12 दर्ज कर प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन कराया जाकर दिनांक 27–6–2012 को सीमांकन आदेश पारित किया गया । तहसीलदार के इसी सीमांकन आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) तहसीलदार द्वारा अनावेदक कमांक 2 के आवेदन पत्र पर प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन करने में त्रुटि की गई है, क्योंकि उसके द्वारा संहिता की धारा 129 के अन्तर्गत बने नियम 2 तथा 3(ग) के अनुसार उसकी भूमि से लगे कृषकों की भूमि का न तो कोई उल्लेख किया गया है और न ही सर्वे नम्बर दर्शाये गये हैं ।

(2) तहसील न्यायालय द्वारा बिना आवेदक को सुनवाई का अवसर दिये सीमांकन आदेश पारित किया गया है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है ।

(3) तहसीलदार द्वारा दिनांक 20–6–2012 को सूचना पत्र जारी कर दिनांक 21–6–2012 को सीमांकन किया जाना निर्धारित करने में अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है ।

(4) सीमांकन पंचनामा में सीमांकन प्रारंभ होने तथा सीमांकन के समाप्त होने का समय का कोई उल्लेख नहीं है ।

(5) तहसीलदार द्वारा सीमांकन में पड़ोसी कृषक को कोई सूचना नहीं दी गई है।

तर्क के समर्थन में 2014 आरएन 69 एवं 303 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये।

4/ अनावेदक कमांक 1 शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा विधिवत् सीमांकन किया जाकर सीमांकन आदेश पारित किया गया है, जो कि हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा बिना दिनांक के आदेशिका लिखी जाकर पेशी दिनांक 28–5–12 नियत की गई है और आवेदन पत्र भी दिनांक 28–5–12 को ही प्राप्त किया गया है । दूसरी आदेशिका भी बिना किसी दिनांक के लिखी गई है जिसमें उल्लेख

किया गया है कि प्रकरण प्रस्तुत राजस्व निरीक्षक की ओर से रिपोर्ट अप्राप्त । तलब की जावे और पेशी दिनांक 27–6–12 नियत की गई है । इससे यह स्पष्ट नहीं है कि आवेदन पत्र कब प्राप्त हुआ और प्रकरण कब दर्ज किया गया। राजस्व निरीक्षक को सीमांकन हेतु दिनांक 31–5–2012 को पत्र जारी किया गया है और एक दिवस में रिपोर्ट चाही गई है। तहसीलदार के प्रकरण में संलग्न सूचना पत्र को देखने से स्पष्ट है कि सूचना पत्र दिनांक 20–6–2012 को जारी किया गया है एवं दिनांक 21–6–2012 को अर्थात दूसरे दि ही सीमांकन की तिथि नियत की गई है सूचना पत्र में आवेदक के नाम का उल्लेख है, परन्तु उसके आगे बी.के. शब्द लिखा है कि जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि सूचना पत्र आवेदक के द्वारा प्राप्त किया गया है । इसके अतिरिक्त सूचना पत्र किसके द्वारा तामील कराया गया, इसका भी कोई उल्लेख नहीं है । सीमांकन पंचनामा में भी यह उल्लेख है कि पड़ोसी कृषक मोहनलाल मौके पर उपस्थित रहे, परन्तु उनके द्वारा हस्ताक्षर किये जाने से मना किया गया । स्पष्ट है कि आवेदक को बिना विधिवत् सूचना दिये उसकी अनुपस्थिति में सीमांकन किया गया है । तहसीलदार के सीमांकन प्रकरण में फील्डबुक भी संलग्न नहीं है कि कौन से स्थायी सीमाचिन्हों से और किस माप से प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किया गया है । 2006 आर.एन. 218 गजराज विरूद्ध रामसिंह एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा इस आशय का निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है –

> "धारा–129 के अन्तर्गत सीमांकन में प्रश्नाधीन सर्वेक्षण संख्याक की पूर्णतः माप नहीं की गई एवं निकटतम सर्वेक्षण की माप भी नहीं की गई और कोई पैमाना नहीं किया गया है इसलिये ऐसा सीमांकन स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि जिसमें दूसरे पक्षकार को सूचित नहीं किया गया हो ।"

इसी प्रकार सीमांकन प्रकरण से यह भी स्पष्ट है कि सीमांकन कार्यवाही में पड़ोसी कृषकों को सूचना नहीं दी गई है । इस संबंध में 2014 आर.एन. 69 बद्रीप्रसाद

तथा रामस्वरूप जाटव तथा अन्य में इस आशय का निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि –

"धारा–129, नि.2 तथा 3(ग) – की अपेक्षाएं उपबंध के अधीन आवेदन – सटे हुये कृषकों के सर्वेक्षण संख्याक उल्लिखित किये जाना चाहिये–ऐसे सर्वेक्षण संख्याक दर्शाये बिना – आवेदन नियमों के अनुसार होना नहीं माना जा सकता ।"

"धारा–129–सीमांकन–सटे हुये कृषकों को सूचना दी जाना चाहिये – सीमांकन प्रतिवेदन प्राप्त करने के पश्चात्–प्रतिकूलरूप से प्रभावित व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिये ।"

2014 आर.एन. 303 में इस आशय का निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है –

"धारा–129–सीमांकन–भूमिस्वामी की भूमि के किस भाग पर – निकटवर्ती कृषक का कब्जा पाया गया–क्षेत्र पंजी में नहीं दर्शाया गया–ऐसा सीमांकन संदेहास्पद है–स्थिर नहीं रखा जा सकता।"

उपरोक्त स्थिति से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 129 के प्रावधानों के अनुरूप विधिवत् सीमांकन नहीं किया जाकर जल्दबाजी में सीमांकन कार्यवाही की गई है । अतः माननीय उच्च न्याायलय एवं इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रतिपादित न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन आदेश दिनांक 27–6–2012 पूर्णतः अवैधानिक एवं अनुचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार तहसील सरदारपुर जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–6–2012 निरस्त किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर